न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
200 / 2019	02.09.2019	18.01.2021

उनवानं

1 रोशनलाल पुत्र चितरू कोम ब्राह्मण साकिन सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर द्वारा मु0आम सुमेर सिंह पुत्र सोहनलाल कोम अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रार्थि

बनाम

1 दयानन्द पुत्र हरदयाल
2 बिमला पुत्री हरदयाल
3 सन्तोष पुत्री हरदयाल
4 कृष्णा पुत्र धर्मचन्द
5 सत्यवीर पुत्र धर्मचन्द
6 भूमिसिंह पुत्र धर्मचन्द
7 ब्बली पुत्री धर्मचन्द
8 भगवती उर्फ भगवानी पत्नी धर्मचन्द
9 सावत्री पुत्र धर्मचन्द
10 नरेन्द्र पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
11 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
12 श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0

उपस्थिति :– 1– श्री पूर्ण सिंह, प्रार्थी वकील
2– श्री दयाराम तवंर, वकील अप्रार्थी

....

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 10:53:21 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 18.01.2021

1. प्रार्थिया का सारतः प्रार्थना पत्र रहा कि :–
विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 119 हाल 188 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर प्रार्थी की पटटेदारी गैरखातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थी लगाता रखो शान्तपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है प्रार्थी के नाम साबिक रिकोर्डस में अंकन हो रहा है। अप्रार्थी का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार वा संबंध या कब्जा काश्त न तो था ना है ना ही वो गैर काबिज

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

गेरवास्ता है किन्त उसके नाम मौका का कब्जा काश्त व पूर्व के रिकोर्डस आप. राइटस के विपरीत हाल जमाबन्दी में अमल हो रहा है जिसकी आडमे प्रार्थीगण प्राथी को बेदखल करना कब्जा करना वा अपने नाम पटटा लेने की जुस्तजू में है जिसका उन्हे हक नही है दिनांक 10.07.2019 को असपल प्रयास किया व एलानिया तोर पर धमकी दी है यदि वो अपनी इस बेजा कार्यवाही से सफल हो गये तो प्रार्थी को हर सूरत में नापूर्मि होने वाली क्षति होगी। दीगर मुकदमाबाजी बढेगी। इसलिए प्रार्थी अप्राथीगण को हुक्मइम्तनाइ चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।
प्रार्थी के द्वारा अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वा आराजी खसरा नम्बर 188 रकबा 0.40 है0 1 बीधा 12 बिस्वा वाके ग्राम भूनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर से प्रार्थी को बेदखल न करे, ना कब्जा करे, ना प्रार्थी को खातेदारी पटटा लेने से रूकावट करे ना अपने नाम से पटटा जारी करावे। प्रार्थी के काश्त कार्य से रूकावट न छाले।
प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए समन तलब किया गया। बाद सूचना अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता दिनांक 11.11.2020 को जवाब पेश किया।
बहस सुनी गई।
प्रार्थी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 व सपठित धारा 151 जा0दी0पर बहस सुनकर मनन किया गया। दौराने वकील वादी ने अपनी बहस में कहा की वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश को सम्पुठ कर दिया जावे। दौराने वकील प्रतिवादी ने कहा की रिकोर्ड दो जगह गलत आयी है वादी का कब्जा नही रहा है आराजी पर आज भी हमारा कब्जा है मे मुख्तारवारनाम की हैसियत से दावा पेश किया है।

–: आदेश :–

न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को उपरोक्त विवेचन के आधार पर साबित पाए जाने पर आराजी 188 रकबा 0.40 है0(1 बीधा 12) बिस्वा वाके ग्राम भुनगडा ठेठर में जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.09.2020 को मूल वाद के निर्णय तक यथावत रखना उचित समझता है तथा अप्रार्थीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, बैय ना करें, ना कोई निर्माण कार्य करें, मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

यह निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 10:53:21 IST
Reason: SelfAttested

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0